

# प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

पूजाईकी संख्या: UPFS/2021/38398/SBL/SAMBHAL/203/CF0

दिनांक: 14-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DAV FERTILLISERS PUBLIC SCHOOL YARA FERTILLISERS INDIA PVT. LTD. BABRALA TEH. GUNNAUR DIST. SAMBHAL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 2751, YARA FERTILLISERS INDIA PVT. LTD. BABRALA, BABRALA तहसील - GUNNAUR जिसमें

धर्मांक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
Educational	2	0	11.31 mt.

तथा प्लॉट एरिया 71259.00 sq.mt है। भवन का अधिभोग DAV FERTILLISERS PUBLIC SCHOOL YARA FERTILLISERS INDIA PVT. LTD. BABRALA TEH. GUNNAUR DIST. SAMBHAL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 21-09-2024 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री PRAMOD SHARMA के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 21-09-2024 से 21-09-2027 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जाएगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियारक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** एफएसएसओ गुजौर संतोष कुमार की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत शैक्षिक भवन में पूर्व एनओसी एवं अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था क्रियारक्षित पायी गयी। अहं अधिकारों से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। प्लॉट उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अहं एजेन्सी से कराया जाय। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। एफएसएसओ गुजौर संतोष कुमार की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

“इस प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, दस्तावेजों के माध्यम से निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा पत्र जारी करने पर निर्मित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-09-2024  
स्थान : SAMBHAL

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(KRISHNA KANT OJHA)

[FAC078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC2A1D0E9]

21-09-2024